Upload on website 14/1/2016

S.No. 26

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2001/RS(G)/779/14 **New Delhi, dated: 14.1.2016**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Sub: General Damage, Security Deposit and Risk Purchase.
Ref : 1. Board's letter No.88/RS(G)/779/14 dated 12.3.2015
2. Board's letter No.79/RS(G)/657/2 dated 1.1.1983

With reference to above in order to streamline the system of SD, GD and Risk Purchase in suppression of Board letter dt. 1.1.1983, the following power are delegated.

The schedule of power as indicated in S.No. 25 of Board letter dated 12.3.2015 is modified as under:

Para 25	Aspect	Power as per Board letter dt. 12.3.2015	Revised Power
	A	B	C
	Variation of Indian Railways Standard Conditions of Contract. (Board's letter No. 2007/RS(G)/779/1 dated 28.7.2008 item No. 8)	COS may also waive operation of clauses relating to 'Liquidated damages', 'Risk Purchases' and 'Arbitration' appearing in the contract (value of contract upto Rs.8 lakhs) at the post contract stage in order to avoid disproportionate administrative expenditure in small recoveries.	1. COS may also waive operation of clauses relating to 'Liquidated damages', 'Risk Purchases' and 'Arbitration' appearing in the contract (value of contract upto Rs.8 lakhs) at the post contract stage in order to avoid disproportionate administrative expenditure in small recoveries. 2. For contracts above Rs. 8 lakhs, RP may be waived by COS/CMM in individual cases by imposing GD @ 10% of outstanding value of contract. (This decision will be taken before floating of the fresh tender). Further to the extent SD has been taken {say of value 'A' (which is less than 10% value of contract)}, in such cases, the GD will be leviable only for the difference amount i.e. GD leviable (say 'B') will be equal to 10% of outstanding value of contract minus the value of SD submitted (A). In such cases, SD amount 'A' shall be forfeited and the 'GD' amount 'B' shall be recovered from the firm. **Note:** For contract more than Rs. 8 lakhs, whenever R.P. is being waived without levying G.D., COS/CMM will take finance concurrence.

Santosh Mittal Ashok

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2001/RS(G)/779/14 **New Delhi, dated : 14 .1.2016**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No. 2001/RS(G)/779/14 **New Delhi, dated : 14 .1.2016**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2001/RS(G)/779/14 **New Delhi, dated : 14 .1.2016**
Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

दिनांक 14-1-2016 को जारी किए गए समसंख्यक पत्र का हिन्दी अनुवाद।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2001/आरएस(जी)/779/14 **नई दिल्ली, दिनांक: 14.1.2016**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली

विषय: सामान्य क्षति, प्रतिभूति निक्षेप और जोखिम खरीद।
संदर्भ: 1. बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14
2. बोर्ड का दिनांक 1.1.1983 का पत्र सं. 79/आरएस(जी)/657/2

उपर्युक्त के संदर्भ में बोर्ड के दिनांक 1.1.1983 के पत्र का अधिक्रमण करते हुए प्रतिभूति निक्षेप सामान्य क्षति, और जोखिम खरीद की प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से शक्तियों का निम्नानुसार प्रत्यायोजन किया जाता है।

बोर्ड के दिनांक 12.03.2015 के पत्र के क्रम सं. 25 में यथा उल्लिखित शक्तियों की अनुसूची को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

पैरा 25	स्वरूप	बोर्ड के दिनांक 12.3.2015 के अनुसार शक्तियां	संशोधित शक्तियां
	क	ख	ग
	संविदा से संबंधित भारतीय रेलों की मानक शर्तों से अन्तर होना (बोर्ड के दिनांक 28.07.2008 के पत्र सं. 2007/आरएस (जी)/779/1 की मद सं. 8)	सीओएस, छोटी वसूली में असंगत अत्यधिक प्रशासनिक व्यय से बचने के उद्देश्य से संविदा उपरान्त संविदा (8 लाख रुपए तक के संविदा मूल्य के लिए) में दिए गए 'परिनिर्धारित नुकसानी', 'जोखिम खरीद', और 'आर्बिट्रैशन' से संबंधित खंडो के तहत की जाने वाली कार्रवाई में छूट दे सकता है।	1. सीओएस, छोटी वसूली में असंगत अत्यधिक प्रशासनिक व्यय से बचने के उद्देश्य से संविदा उपरान्त संविदा (8 लाख रुपए तक के संविदा मूल्य के लिए) में दिए गए 'परिनिर्धारित नुकसानी', 'जोखिम खरीद', और 'आर्बिट्रैशन' से संबंधित खंडो के तहत की जाने वाली कार्रवाई में छूट दे सकता है। 2. 8 लाख रुपए से अधिक की संविदा के लिए प्रत्येक अलग-अलग मामलों में सीओएस/सीएमएम द्वारा संविदा की बकाया राशि के 10% की दर से सामान्य नुकसानी लगाकर जोखिम खरीद को माफ किया जा सकता है (यह निर्णय नई निविदा आमंत्रित करने से पूर्व लिया जाएगा)। इसके अलावा जहां मौजूदा प्रतिभूति निक्षेप ले लिया गया है {मान लें कि 'क' राशि ली गई है (जो संविदा के मूल्य से 10% कम है)}, ऐसे मामलों में, अंतर राशि पर ही सामान्य क्षति वसूल की जाएगी अर्थात. वसूल की जाने वाली सामान्य क्षति (मान ले 'ख' हो) संविदा की बकाया राशि के 10% में से दिए गए सामान्य क्षति की राशि (क) घटाकर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर होगी। ऐसे मामलों में प्रतिभूति निक्षेप राशि 'क' जब्त कर ली जाएगी और फर्म से 'सामान्य नुकसानी' राशि 'बी' की वसूली का जाएगी। **नोट:** 8 लाख रुपये से अधिक की संविदा के लिए, जब कभी सामान्य क्षति लिए बिना जोखिम खरीद माफ की जा रही हो तब सीओएस/सीएमएम द्वारा इसके लिए वित्त की सहमति ली जाएगी।

सन्तोष मित्तल अशोक

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) I
रेलवे बोर्ड

सं. 2001/आरएस(जी)/779/14 **नई दिल्ली, दिनांक: 14.1.2016**

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

सं. 2001/आरएस(जी)/779/14 **नई दिल्ली, दिनांक: 14.1.2016**

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला
2. निदेशक-
   क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद
   ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
   ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
   घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
   ड.) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
   च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
4. कार्यपालक, निदेशक (भण्डार), आरडीएसओ, लखनऊ
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
6. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) I
रेलवे बोर्ड

सं. 2001/आरएस(जी)/779/14 **नई दिल्ली, दिनांक: 14.1.2016**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 248 एवं एनएफआईआर कमरा सं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, फ्रोआ, कमरा सं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन।

सन्तोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) I
रेलवे बोर्ड